

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(अनुभाग-3)



223

क्रमांक-एफ-4(5)आरडी/आरई/नरेगा /0.6  
जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,  
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,  
समस्त (राजस्थान)।

जयपुर, दिनांक :

26 MAR 2009

विषय :-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सार्वजनिक निर्माण  
विभाग के कार्यों के क्रियान्वयन बाबत।

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न कार्यों का क्रियान्वयन करवाया जा रहा है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निष्पादित कार्यों के यथा निर्देश एवं यथा समय निष्पादित सुनिश्चित करने की दृष्टि से विभाग द्वारा तैयार किये जा रहे तकमीनों में 2 प्रतिशत कन्टीजेंसी शामिल करने के निर्देश दिये जाते हैं, जिससे उनके द्वारा अपेक्षित आकस्मिक व्ययों का निस्तारण किया जा सकेगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तुत तकमीनों में इसे अनुमत मानते हुए स्वीकृति प्रदान की जावे।

विभाग द्वारा निर्मित की जा रही सड़कों में ग्रेवल की सप्टाई एवं उसका परिवहन बिबिदा के माध्यम से करवाया जा सकता है, उसे सामग्री मद का भाग माना जायेगा।

(दिनेश कुमार गोयल)  
प्रमुख शासन सचिव  
सार्वजनिक निर्माण विभाग

(जी. एस. संधु)  
प्रमुख शासन सचिव  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग को भेजकर अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु अपेक्षित निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें।
2. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला परिषद, (राजस्थान)।
3. रक्षित पत्रावली।

परि. निदे. एवं उप सचिव (ग्रामो)